

अध्याय

4



# विशिष्ट पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन


## 4.1 प्रस्तावना

पर्यावरण निर्बाधन(ईसी) ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार नियत प्रक्रियाएं अयनाने के बाद एमआईएफएण्डसीसी द्वारा श्रेणी ए परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। पीपी को इसी जारी किया जाता है और ईआए रिपोर्ट में पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के अनुसार निर्धारित शर्तों का पालन किया जाता है। सामान्य शर्तों के अतिरिक्त पीपीज द्वारा पालन किए जाने के लिए या तो क्षेत्रों से अथवा परियोजना से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट शर्तें भी लगाता है। इस अध्याय में 18 विशिष्ट ईसी शर्तों के लिए गैर-अनुपालन पर अवलोकन किया है जो सभी राज्यों में फैली परियोजनाओं से संबंधित है। 18 शर्तों नीचे दी गई है।

- (i) आपात काल तैयारी योजनाओं का कार्यान्वयन
- (ii) ऊपरी मिट्टी का संरक्षण करना
- (iii) अतिभारित खत्तों का प्रबन्धन
- (iv) वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का आवंटन करना हेतु कार्ययोजना तैयार करना
- (v) बहिःस्राव संसाधन संयंत्र जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां संस्थापित करना।
- (vi) व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू करना और जोखिम की पहचान करना
- (vii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना
- (viii) क्षमिकों के लिए आवसीय सुविधाओं का निर्माण करना
- (ix) राहत तथा पुनर्वास
- (x) खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन
- (xi) विस्फोटक सामग्री के प्रहस्तन हेतु निबधिन प्राप्त करना
- (xii) ताप विधुत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश का भण्डारण
- (xiii) ताप विधुत परियोजनाओं के मामले में अनुमत राख मात्रा की अपेक्षा अधिक के कोयला का उपयोग
- (xiv) ताप बिधुत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश के पलायल उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण

- (xv) ताप बिद्युत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश राख का उपयोग करना
- (xvi) नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन करना
- (xvii) मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू करना एक जल संसाधन परियोजना
- (xviii) जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू करना

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या पर्यावरण प्रस्तावक ने ईसी शर्तों का अनुपालन किया है, हमने पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिए गए 352 परियोजनाओं के अभिलेखों/ सूचना, जिसके लिए एमओईएफएण्डसीसी ने कलेण्डर वर्ष 2008-12 में सात क्षेत्रों में प्रदान की गई ईसी का मुल्यांकन किया है। हमने अभिलेख तथा दस्तावेजों के आधार पर ईसी रिपोर्ट की शर्तों का अनुपालन तथा प्रति बद्धताओं का परीक्षण जांच किया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष का परिणाम चार्ट 4.1 में संक्षेप है।



चार्ट 4.1 दर्शाता है कि शर्तों का परिक्षित परियोजनाओं द्वारा अनुपालन की प्रतिशतता पांच से 57 प्रतिशत के बीच थी। परियोजनाएं जिनमें अनुपालन 25 प्रतिशत से अधिक है, छह विशेष इसी शर्तों से संबंधित है और उनमें से अधिकांश नदी घाटी एवं जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं और ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित हैं। वे निम्नवत हैं:

- (i) कार्ययोजना तैयार ने करना और कार्यान्वयन न करना/वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का आवंटन करना
- (ii) जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू न करना
- (iii) नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन में तथा संकलन न करना
- (iv) मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू न करना एक जल संसाधन परियोजना
- (v) ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में फ्लाइ ऐश का अनुभित भण्डारण
- (vi) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण न करना

352 परियोजनाओं जिसमें परीक्षण जाँच की गई, जिसमें से दस परियोजनाओं में विशिष्ट इसी के गैर-अनुपालन की अधिकतम संख्या प्रदर्शित हुई है जो नीचे दी गई तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.1: 10 परियोजनाओं जिसमें अधिकतम संख्या के विशिष्ट इसी शर्तों का गैर अनुपालन हुआ है।**

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
1. बिहार	2x195 मेगावाट (द्वितीय चरण) कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट	मैसर्स कांती बिजली उत्पादन वितरण लिमिटेड	फ्लाइ ऐश का भंडारण, फ्लाइ ऐश, उत्सर्जन का नियंत्रण अनुमति दी राख की मात्रा, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन संरचना, राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं होना।
2. मेघालय	मामलूह चूना पत्थर खदान	मैसर्स मामलूह चरा सीमेंट लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, टॉप सौइल, एवं ओवर बर्डन की गैर प्रबंधन, ईटीपी की गैर-स्थापना, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण का कार्यान्वयन नहीं होना वनस्पति एवं जन्तुओं का गैर संरक्षण
3. जम्मू-कश्मीर	खृत्यू चूना	मैसर्स जम्मू-कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	आपातकालीन का गैर संरक्षण तैयारियों की योजना, वनस्पति और जीव, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण का कार्यान्वयन नहीं होना
4. उत्तराखंड	ओमैक्स रिवीयरा रुद्रपुर के आवासीय परिसर।	मैसर्स ओमैक्स लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण, ईटीपी की गैर-स्थापना, विस्फोटक की हैंडलिंग, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग में कमी।
5. मेघालय	रिवियांग में 10 मेगावाट सीपीपी के साथ फेरो सिलिकॉन संयंत्र के निर्माण के चरण	मैसर्स श्री शाकमबरी फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, ईटीपी, वर्षा जल संचयन संरचना, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं की गैर-निर्माण की गैर-स्थापना में कमी, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग।
6. जम्मू-कश्मीर	प्रस्तावित एकीकृत सीमेंट संयंत्र	मैसर्स ट्रेम्बू सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों, मिट्टी की ऊपरी परत का गैर संरक्षण, वनस्पतियों और जीव का गैर संरक्षण
7. बिहार	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारी शरीफ पटना का निर्माण	स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	मिट्टी की ऊपरी परत का गैर संरक्षण, वर्षा जल संचयन संरचना, ईटीपी की गैर-स्थापना, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग, मजदूरों के लिए आश्रय की गैर-निर्माण।
8. मध्य प्रदेश	लोअर गोई सिंचाई परियोजना	मैसर्स एनवीडीए बड़वानी	आपातकालीन तैयारियों की योजना, जलग्रहण क्षेत्र उपचार,

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं होना एवं गैर तैयारी में कमी। राहत और पुनर्वास की गैर कार्यान्वयन।
9. हिमाचल प्रदेश	सेंज एचईपी 100 में.वा	मैसर्स हिमाचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	ऊपर मिट्टी का गैर संरक्षण, मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन योजना, का गैर कार्यान्वयन, जलग्रहण क्षेत्र उपचार के गैर तैयारी, वनस्पति और जीव, का गौर संरक्षण गैर समेकन और गंदगी निपटान योजना का संकलन, राहत एवं पुनर्वास के गैर कार्यान्वयन की गैर संरक्षण के गैर कार्यान्वयन।
10 कर्नाटक	1.120 एलपीडी मोलैसस आसवनी बागलकोट	मैसर्स निरानी शुगर्स लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, ईटीपी की गैर-स्थापना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण में कमी।

यह अध्याय सभी राज्यों में फैली परियोजनाओं से सम्बन्धित 18 विशेष इसी शर्तों का अनुपालन शामिल करता है। 18 विशेष इसी शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में हैं।

#### 4.2 आपात काल तैयारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी

अधिकांश परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट और इसी शर्त, पीपी से परियोजना स्थानों पर जोखिमों का निर्धारण करने के बाद आपात काल तैयारी योजना (ईपीपी) तैयार करने और लागू करने की अपेक्षा करते हैं। ईआईए अधिसूचना 2006, परिशिष्ट-III के अनुसार ईआईए दस्तावेज की सामान्य संरचना में भी आपातकाल प्रक्रियाओं को शामिल करने का प्रावधान-किया गया है।

हमने देखा कि सात क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 312 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट/ इसी शर्तों में ईपीपी अनुबन्ध किए गए थे। इन 312 परियोजनाओं में से 29<sup>21</sup> परियोजनाओं में पीपी ने इस शर्त का अनुपालन नहीं किया था। 206 परियोजनाओं में पीपी ने इस शर्त का पालन किया और 77 परियोजनाओं में संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

<sup>21</sup> 13 परियोजनाओं में इसी की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया एवं 16 परियोजनाओं में आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।



ईपीपी कि गैर-अनुपालन में एम्बुलेंस की अनुपलब्धता, अग्निशमन सुविधाएँ, विस्फोट के खतरे, चिकित्सा सुविधाएँ, चक्रवात के खिलाफ संरक्षण, बाढ़, भूकंप, बादल फटने, खनन सैलाब, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मॉक ड्रिल आपदा तैयारी, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

कुछ उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

मै. मामलुह चैरा सीमेंट लिमिटेड द्वारा परियोजना मामलुह चूना पत्थर खान, मेघालय में ईआईए रिपोर्ट में इंगित आपातकाल की प्रकृति में खान अग्रभागों पर ढाल विफलता और विस्फोटक तथा भारी खनन उपकरण की तोड़फोड़ के कारण दुर्घटना आदि थे। पीपी को आपातकाल तैयारी और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए प्रतिक्रियाओं के लिए दस्तावेजित प्रक्रिया तैयार करनी थी। तथापि यह देखा गया कि प्रस्तावक ने ईपीपी तैयार नहीं किया था।

इसी प्रकार अन्य परियोजना में जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड द्वारा खरियु लाइमस्टोन जम्मू एवं कश्मीर में यह देखा गया कि आपदा प्रबंधन योजना पर ईआईए रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई थी परन्तु ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि जिला प्राधिकरण और कारखानों के निरक्षणालय तथा भट्टी ईपीपी अनुमोदन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधि के अन्तर्गत शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि एमओईएफएण्डसीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला प्राधिकारियों द्वारा ईपीपी की शर्तों की अनुपालना की गई ताकि आपातकाल के समय स्थिति के कुप्रबंधन और गलत ढंग से निपटने से बचा जा सके।

#### 4.3 ऊपरी मिट्टी का संरक्षण न करना

ऊपरी मिट्टी, मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग है। पौधे सामान्यतया इसमें अपनी जड़ें सकेन्द्रित करते हैं और इस परत से अपना अत्यावश्यक पोषक प्राप्त करते हैं। ऊपरी मिट्टी की वास्तविक गहराई मापी जा सकती है जो कि सतह से पहली घनी पैक मिट्टी की परत अवभूमि के रूप में जानी जाती है। इसी के अनुसार किसी प्रकार की खुदाई में लगे प्रत्येक प्रस्तावक को (i) खुदाई क्षेत्रों तथा ढेर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊपरी मिट्टी का संरक्षण करना है अथवा (ii) निर्माण कार्यकलापों के दौरान खोदी गई सभी ऊपरी मिट्टी परियोजना स्थान के अन्दर बागवानी/परिदृश्य विकास में उपयोग के लिए इकट्ठी की जानी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऊपरी मिट्टी बाद में भूमि सुधार और वृक्षारोपण के उपयोग के लिए अच्छे से इकट्ठी की गई थी।

हमने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 140 परियोजनाओं में ऊपरी मिट्टी के संरक्षण की शर्त इसी पत्र में अनुबद्ध की गई थी। इन

140 परियोजनाओं में, हमने पाया कि सात परियोजनाओं ने इस शर्त का पालन नहीं किया गया और 50 परियोजनाओं में पीपी द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

एमओईएफएण्डसीसी (अक्टूबर 2016) ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा कि इस शर्त के अनुपालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

#### 4.4 अनुचित प्रबन्धन/अतिभारित डम्प का निपटान न करना

विशेष रूप से कोयला/ गैर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न पीपी को जारी किए गए इसी पत्र में खनन कार्य के दौरान बने अतिभारित डम्प (ओबी) के प्रबंधन के संबंध में शर्तें शामिल होती हैं। कटाव और सतह अपवाह को रोकने के लिए ओबी पर वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त देशी प्रजातियों को उगाना था। महत्वपूर्ण क्षेत्रों, में जीओ टेक्स्टाइल का उपयोग डम्प को स्थिर करने के लिए किया जाना था। ओबी लंबी अवधि के लिए निरुपयोग नहीं छोड़ा जाना चाहिए था और खदान के जीवन के अंत में खनन क्षेत्र ओबी के साथ बैकफिल किया जाना था।

विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 61 खनन परियोजनाओं के इसी पत्र में यह शर्त लगाई थी। हमने 10 परियोजनाओं में इस इसी शर्त का उल्लंघन देखा।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैं:

मैं. वी.एस. लाड एण्ड सन्स लोह अयस्क खदान, बेल्लारी कर्नाटक द्वारा 'लोह अयस्क उत्पादन बढ़ाना' परियोजना में इसी में एक शर्त शामिल थी कि कटाव के प्रति उदासीनता की सुरक्षा को बाहर किया जाना चाहिए। ओबी का संरक्षण किया जाना चाहिए। देशी पेड़ों का घना रोपण किया जाना था। तथापि ओबी शीर्षस्थ पाई गई और कोई स्थाई उपाय जैसे बेंचिंग, जिओ कोइर मैटिंग, टौ दीवार का निर्माण आदि नहीं किए गए थे। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सर्वेक्षण के अनुसार ओबी कम हो चुकी है और निकटवर्ती वन क्षेत्रों तक फैल गई है परिणामस्वरूप अतिक्रमण हुआ जिसके कारण खनन पट्टा रद्द कर दिया गया।

मैं. अश्वथनारायण सिंह, कर्नाटक, द्वारा 'लोह अयस्क उत्पादन बढ़ाना' परियोजना में इसी शर्त में अपेक्षा की गई की ओबी का निर्धारित डंप स्थलों पर ढेर लगाया जाएगा और लंबी अवधि के लिए सक्रिय नहीं रखा जाएगा और ओबी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालन की अवधि के दौरान ओबी डम्प ठीक से स्थिर नहीं किए गये थे, खानों की ढाल और ऊंचाई सीमा निर्धारित पर नहीं बनाए रखा गया, जिसके कारण ओबी के लगातार फिसलनें और नीचे रोलिंग से गहरी नाली बन गई थी। हालांकि ओबी में वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन बरसात के मौसम के दौरान कटाव

से वृक्षारोपण के जीवित रहने की दरों में कटौती हो गयी थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा भी ओबी पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखा परीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) कि अनुपालन में सुधार करने के लिए कदम लिए जा रहे थे।

इस प्रकार, परियोजना निष्पादन में खुदाई के दौरान अतिभारित डम्प का अनुचित प्रबंधन, मिट्टी के कटाव को जन्म दे सकता है और सतही अपवाह प्रभावित कर सकता है।

#### 4.5 कार्ययोजना तैयार न करना और कार्यान्वयन न करना/वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का गैर आबंटन

कुछ परियोजनाओं के ईसी पत्रों में कार्ययोजना तैयार करने और लागू करने तथा वनस्पति और जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों के आवंटन की शर्त शामिल की गई। ऐसी योजनाओं में वनस्पतियों तथा जन्तुओं की प्रजातियों की सूची बनाकर परियोजना क्षेत्र में और चारों ओर क्षेपण के सर्वेक्षण के बाद संकलित डाटा और उनके संरक्षण हेतु की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। आम तौर से इसके लिए राज्य वन विभाग की सहमति, एमओईएफएण्डसीसी को भेजने से पहले ली जायेगी। संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए धन का आबंटन आवश्यक था और आबंटित धन परियोजना की लागत में शामिल किया जाना था। विशेष रूप से परियोजना स्थान के लिए इस प्रकार तैयार वन्यजीव संरक्षण योजना में उल्लिखित सभी सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाने थे। कार्ययोजना की एक प्रति एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज को प्रस्तुत की जानी थी।

यह देखा गया कि 352 परीक्षित मामलों में से 54 परियोजनाओं के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने/लागू करने/ वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों के आवंटन के संबंध में शर्त लगाई गई थी। इस शर्त का अनुपालन 18 परियोजनाओं में देखा गया था। एक परियोजना के संबंध में वनस्पति तथा जन्तुओं के कार्ययोजना से सम्बन्धित शर्त लागू नहीं थी क्योंकि यह अभी आरम्भ हुई थी। 4 परियोजनाओं में वनस्पति तथा जन्तुओं की कार्य योजना के संबंध में पीपी द्वारा सूचना न भेजने के कारण कमी निर्धारित नहीं की जा सकी।

यह देखा गया कि 31 परियोजनाओं (57 प्रतिशत) के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने और लागू करने/ वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु राज्य के वन और वन्यजीव विभाग के परामर्श से निधियों के आवंटन के संबंध में कमी हुई थी।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिये गए हैं:

अण्डमान तथा निकोबार में मै. पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड (पीएमबी) द्वारा कच्छल में बंदरगाह सुविधाओं का विकास नामक परियोजना के ईसी में रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की निगरानी की शर्त निर्धारित थी। क्योंकि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 श्रेणी के अन्तर्गत कोरल की सभी प्रजातियां शामिल थीं इसलिए पीएमबी ने कोरल रीफ पर सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (जैडएसआई) से सम्पर्क किया।

जैडएसआई ने सिफारिश की कोरल रीफों के स्वास्थ्य की समय-समय पर निगरानी निर्माण के साथ पोस्ट निर्माण अवधि के दौरान किया जाना चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह टृतीय क्षेत्र प्रबन्धन प्राधिकरण (एएनसीजैडएमए) ने यह निर्णय किया गया था कि पीपी निर्माण अवधि और उसके बाद दो वर्षों के दौरान कोरल, इसके सहयोगियों तथा समुद्री वनस्पति और जन्तुओं की निगरानी के लिए एएनसीजैडएमए के अधिकार में परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत रखेगा। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने अपनी 90 वीं बैठक में परियोजना की सिफारिश करते हुए यह निर्देश दिया कि रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की जैडएसआई के सुझावों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

यह देखा गया कि रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की किंचित निगरानी नहीं की गई थी क्योंकि पीएमबी ने एएनसीजैडएमए को परियोजना की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत (₹ 127.28 करोड़) जमा नहीं किया था।

झारखण्ड में मै0 हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पाखर बाक्साइट माइन नामक परियोजना के ईसी में शर्त थी कि अजगर, लोमड़ी तथा भालू के डेनों सहित क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवास भी राज्य वन तथा वन्यजीव विभाग के परामर्श से उचित वन्यजीव संरक्षण उपाय अपनाने के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पीपी को पूंजीगत लागत के रूप में ₹ 48.24 लाख तथा आवर्ती लागत के रूप में ₹ 10 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया था।

तथापि यह देखा गया कि न तो लुप्त प्रायः जन्तुओं के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों की पीपी द्वारा योजना बनाई गई थी और न ही वन्यजीव संरक्षण उपाय पर उद्दिष्ट निधियां खर्च की गई थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकारते हुए यह बताया (अक्टूबर 2016) बताया कि मंत्रालय राज्य अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

#### 4.6 बहिःस्राव संसाधन संयंत्र जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां/संस्थापित न करना

262 परियोजनाओं में ईसी पत्रों में शर्त लगाई गई कि प्रक्रिया के बहिःस्रावों के संसाधन (ईटीपी) हेतु पर्याप्त क्षमता का एक बहिःस्राव संसाधन संयंत्र, खान निस्सरण के संसाधन

हेतु आवसादन टैंक अथवा घरेलू बहिःस्राव के संसाधन हेतु सीवेज संसाधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए जाने चाहिए। उस शर्त का प्रयोजन भू/सतही जल के साम्मिश्रण को बन्द करना था।

हमने देखा कि 262 मामलों, जहाँ शर्त लगाई गई थी, में से 161 परियोजनाओं में ईटीपीज तथा एसटीपीज जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां संस्थापित देखी गई थीं। तीन परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे और 51 मामलों में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं या तो निर्माण चरण में थीं अथवा यूनिते अवशिष्ट उत्पन्न नहीं कर रही थीं।

हमने यह भी देखा कि 23 परियोजनाओं के संबंध में ईटीपी/एसटीपी का संस्थापन नहीं हुआ था और बाकी 24 मामलों में, या तो कार्यरत नहीं थे या कार्यक्षमता से कम काम कर रहे थे।

परियोजना स्थल पर ईटीपी/एसटीपी के स्थापित न होने के कारण अनुपचारित अपशिष्ट जल को छोड़ दिया गया था और इस तरह की सतह/भूजल को दूषित नालो को नीचे प्रवाह करने की अनुमति दी जा रही थी।

उदाहरण स्वरूप कुछ मामलें नीचे दिए जा रहे हैं।

मै0 ओमैक्स लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड में ओमैक्स रिवेरिया रुद्रपुर में आवासीय परिसर' नामक निर्माण परियोजना के ईसी पत्र में परियोजना प्रचालन हेतु चालू करने से पूर्व एसटीपी के संस्थापन, स्वत-य विशेषण द्वारा प्रमाणित और एमओईएफएण्डसीसी को इससे सम्बन्धित रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की शर्त लगाई गई। हमने देखा कि एसटीपी संस्थापित परन्तु 1430 केएलडी की तुलना में कम क्षमता अर्थात 600 केएलडी का पाया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एसटीपी बन्द पाया गया था। हमने यह भी देखा कि एसटीपी महीनों से बन्द पडा था साथ ही अप्रैल 2014 के बाद एसटीपी लांगबुक नहीं बनाई गई थी और मई 2013 के बाद संसाधित जल की निगरानी नहीं की गई थी।



ओमैक्स रिवेरिया अवसंरचना, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड का अकार्यशील एसटीपी

मैं. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल में 'मोहनपुर ओपन कास्ट कोल माइन के ईसी पत्र में कार्यशाला के लिए पर्याप्त समता का ईटीपी का प्रबन्ध करने की शर्त लगाई गई। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट जल (कार्यशाला तथा खान से अपशिष्ट जल) उचित प्रकार संग्रहीत, संसाधित किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके। तथापि दौरे के दौरान यह देखा गया था कि परियोजना क्षेत्र में ईटीपी संस्थापित नहीं किया गया था और अपशिष्ट जल और मात्र सेटलिंग टैंक के माध्यम से गुजारने के बाद खुले गहरे क्षेत्र में विसर्जित किया जा रहा था।



#### मोहनपुर ओसीपी पश्चिम बंगाल में खुले क्षेत्र में जल विसर्जन

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में ईटीपीज/ एसटीपीज के संस्थापित न करने के अनुपालन जुलाई 2015 में मंत्रालय तथा सीपीसीबी द्वारा उठाए गए थे ईटीपी प्रणाली में बहाव मीटर सहित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली रखना सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाया गया है जिससे भौतिक निगरानी को कम किया जाय जो मंत्रालय तथा सीपीसीबी में स्टाफ की कमी के कारण सम्भव नहीं था।

#### 4.7 व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करना और जोखिम की पहचान न करना

कुछ परियोजनाओं में ईसी में आवश्यक किया गया कि स्वास्थ्य जोखिम से सम्बन्धित कार्य की पहचान, मलेरिया उन्मूलन पर प्रशिक्षण एचआईवी तथा खनिज धूल के प्रभावन पर स्वास्थ्य प्रभावों सहित कामगारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। किए गए विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा आवधिक रूप में पीपी द्वारा की जानी चाहिए।

हमने देखा कि 248 मामलों जहाँ शर्त लागू थी, में से 179 परियोजनाओं में व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन देखा गया था। 10 परियोजनाओं में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजना अभी परिचालनीकृत नहीं हुई थी अथवा निश्रेष्ट पडी थी। 30 परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख नहीं मेजे गए थे। हमने देखा कि व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम 29 परियोजनाओं (12 प्रतिशत)

में लागू नहीं किया गया था। हमने पाया कि आवधिक चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया, स्वास्थ्य अभिलेख नहीं बनाये गए, निजी सुरक्षा लोगो द्वारा धूल व जोखिम भरे क्षेत्र में नहीं लाये गए तथा प्राथमिक सुरक्षा कक्ष भी परियोजना स्थल पर उपलब्ध नहीं किया गया।

उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश में मै0 सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश द्वारा 'मनाल लाइम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट का विस्तार' नामक परियोजना के ईसी पत्र में शर्त लगाई गई कि कामगारों का व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम आवधिक रूप से किया जाना था और धूलभरे क्षेत्र में कार्मिक कार्यचालन सुरक्षात्मक श्वसन साधन पहनें। तथापि भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि कामगार व्यक्तिगत उपकरण नहीं पहन रहे थे।



**मानल लाइम स्टोन खनन परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बिना कार्यरत कामगार**

मै. एपेक मिनेरल इण्डस्ट्री द्वारा 'कगमादर सोपस्टोन खनन परियोजना (राजसमंद) नामक परियोजना में शर्त लगाई गई कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण पहनने चाहिए और उन्हें सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण तथा सूचना भी दी जानी चाहिए। धूल के प्रकटन के कारण किसी संकुचन को देखने के लिए आवधिक रूप से कामगारों का व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम किया जाना चाहिए और सुधार उपाय, यदि आवश्यक हों, किए जाने चाहिए। तथापि भौतिक सत्यापन के समय पर हमने देखा कि व्यवस्थित अभिलेख नहीं बनाए जा रहे थे जैसा ईसी में चाहा गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि अनुपालन में सुधार करने के लिए आपतियाँ सम्बन्धित राज्य सरकारों के सांविधिक अधिकारियों को भेजी जाएगी।

#### 4.8 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण न करना

289 परियोजनाओं के ईसी पत्र में शर्त लगाई गई कि पीपी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड के परामर्श से क्षेत्र में भूजल संसाधन बढ़ाने के लिए उचित वर्षा जल संचयन

उपायों सहित उचित संरक्षण उपाय करेगा और उसकी एक प्रति एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज को भेजेगा। 32 परियोजनाओं में शर्त लगाई गई कि उपरी बहाव से तल तथा ग्रीस हटाने के लिए तेल एवं ग्रीस जाल लगाया जाएगा और वर्षा जल संचयन के उपयोग से पूर्व आस्थगित पदार्थ सेटलिंग टंकी में अलग किया जाएगा।

हमने पाया कि 289 मामलों में जहाँ यह शर्त लगाई गई थी, में से 186 परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन संरचनाएं पाई गई थी। 6 परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे और 14 परियोजनाओं में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं निर्माणधीन थी। 83 परियोजनाओं के मामले में वर्षा जल संचयन संरचनाएं पाई नहीं गई थी। जो कि भूजल तालिका को समृद्ध करने के लिए जरूरी था और जो दूसरे उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करता।

उदाहरण स्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं,

बिहार में मै. ईको सीमेंट लिमिटेड द्वारा पोर्टलैण्ड पोजलोना सीमेंट यूनिट' नामक औद्योगिक परियोजना के इसी पत्र में शर्त लगाई गई कि वर्षा जल संचयन का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और यदि आवश्यकता हो, अधिकतम जल आवश्यकता पूरी करने के लिए जलाशय की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। केवल शेष जल आवश्यकता अन्य स्रोतों से पूरी की जानी चाहिए। हमने देखा कि एक गड्ढे को वर्षा जल संचयन संरचना के रूप में दर्शाया गया था जो शुष्क था और घास से भरा था। इसके अलावा गड्ढा संरचना ईएमपी में दी डिजाइन के अनुरूप नहीं थी।

मै. एन.आर. अग्रवाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गुजरात में आयातित कोयला आधारित सहउत्पादन कैप्टिन पावर प्लांट' नामक औद्योगिक परियोजना के इसी पत्र में शर्त लगाई गई कि पीपी वर्षा जल संचयन उपायों का उत्तरदायित्व ले और संयंत्र के प्रचालन में उपयोग के लिए जल भण्डार विकसित करे। वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें संयंत्र परिसरों में निर्मित तथा खुले क्षेत्र से वर्षा जल संग्रहण हो। कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना एमओईएफएण्डसीसी के आरओ को प्रस्तुत की जानी चाहिए। हमने देखा कि कम्पनी ने संयंत्र के प्रचालन में उपयोग करने के लिए वर्षा जल संचयन उपाय नहीं किए हैं और जल भण्डारण प्रणाली विकसित नहीं की है इसके अलावा कम्पनी ने एमओईएफएण्डसीसी को कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की है। एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि सीजीडब्ल्यू तथा एमओईएफएण्डसीसी के सम्बन्धित आरओ को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा।

#### 4.9 श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण न करना

श्रमिक कल्याण कारोबारी संगठनों का अनिवार्य भाग है और प्रबन्धनों को मानव दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। आवासीय सुविधा मुहैया कराना



प्राथमिक कल्याण उपायों में से एक है जो श्रमिक को सम्पत्ति का बोध उत्पन्न करता है जिससे उत्पादकता और कामगारों की क्षमता बढ़ती है।

एमओईएफएण्डसीसी ने ओएम दिनांक 22 सितम्बर 2008 के द्वारा ईसी देते समय सभी परियोजनाओं में निर्माण श्रमिकों के लिए आवास के साथ सभी आवश्यक अवसंरचनाओं और सुविधाओं जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन, चल शौचालय, चल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि मुहैया करने से सम्बन्धित शर्त लगाने को अनिवार्य किया था।

हमने देखा कि 352 परीक्षित परियोजनाओं में से 115 (33 प्रतिशत) परियोजनाओं में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी और केवल 166 (47 प्रतिशत) परियोजनाओं में उल्लेख पाया गया था। 71(20 प्रतिशत) परियोजनाओं में अनुपालन का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि या तो परियोजना का निर्माण चरण पहले ही समाप्त हो गया था /आरम्भ नहीं हुआ था अथवा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं थी।

166 परियोजनाओं में से 25 (15 प्रतिशत) परियोजनाओं में (17 परियोजनाओं सहित जहाँ पीपी ने बताया कि ऐसा किया नहीं गया था क्योंकि श्रमिक निकटवर्ती क्षेत्रों से थे) यद्यपि ईसी में इस प्रकार की शर्त थी।

कुछ दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

**उत्तराखण्ड के वन विकास निगम के 'कोसी नदी से गौण खनिजों का संग्रह, नेनिताल'** के मामले में ईसी ने निर्माण श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएं जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन, चल शौचालय, एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि उपलब्ध करानी निर्धारित की थीं। हमने देखा कि पीपी ने कोई आवास या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं प्रदान की थीं।

**आंध्रप्रदेश के मै. श्री जयाज्योती सीमेंट लिमिटेड की 'यानाकाण्डला लाईमस्टोन माइन'** के मामले में ईसी ने श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना निर्धारित किया था। किंतु हमने देखा कि पीपी ने श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं नहीं दी थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उसने सभी ईसी में यह शर्त लगाना सितम्बर 2008 में अनिवार्य कर दिया था। तथापि तथ्य यह है कि यह शर्त अनिवार्य बनाने के बावजूद हमने 25 मामलों में आवासीय सुविधाएं देने में गैर-अनुपालन पाया।

#### 4.10 राहत तथा पुनर्वास में अनियमितताएं

परियोजना प्रभावित लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास (आरएण्डआर) का प्रमुख महत्व होता है क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया प्रायः समस्याएं पैदा करती है जो पुनर्वास के बाद

अपने पूर्व आजीविका कार्यकलापों को जारी रखना प्रभावित व्यक्तियों के लिए कठिन बनाता है।

सामान्यतया इसी में लगाई गई शर्तें कहती हैं कि आरण्डआर योजना आदिवासियों सहित परियोजना प्रभावित जनता (पीएपी) के लिए राज्य सरकार की नीति के अनुसार लागू की जाएगी, आरण्डआर के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए, भूमि गवाने वाले को दिया जाने वाला मुआवजा राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनःस्थापन नियम 2007 की नीति के अनुसार प्रतिमानों से कम नहीं होगा।

हमने देखा कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 294 परियोजनाओं में आरण्डआर योजना की शर्त इसी पत्र में निर्दिष्ट नहीं की गई थी अथवा आरण्डआर के लिए लागू नहीं थी। 23 परियोजनाओं में पीपी ने आरण्डआर के व्यौरें नहीं भेजे थे।

शेष 35 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं ने आरण्डआर कार्यकलाप लागू किए थे। 7 परियोजनाओं में पीपी ने आरण्डआर लागू नहीं किया था और 6 परियोजनाओं में पीपी ने आंशिक रूप से आरण्डआर लागू किया था। पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ), भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे का हस्तांतरण, पीएएफ को मुआवजे का भुगतान आदि जैसी शर्तों को पीपी द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

उदाहरणार्थ, मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सोनपुर बजारी ओसीपी, पश्चिम बंगाल परियोजना में इसी शर्त के अनुसार 2284 पीएएफ से बने 12 गावों में आरण्डआर एक विशेष समय सीमा के अन्दर लागू किया जाना चाहिए था। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आरम्भ में 2284 पीएएफएस थे जो 3765 पीएएफ तक बढ़ गए। तथापि यह देखा गया था कि जून 2016 तक केवल 441 पीएएफ का पुनर्वास किया गया था और 3324 पीएएफ का पुनर्वास अभी किया जाना है।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा मुद्दे पर कोई टिप्पणियां नहीं पेश की गईं।

#### 4.11 खतरनाक अपशिष्ट सामाग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन

189 परियोजनाओं के इसी पत्रों में शर्त थी कि पीपी खतरनाक अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन तथा सीमा पार गतिविधि) नियम 2008 के अन्तर्गत खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण तथा निपटान हेतु प्राधिकरण प्राप्त करेगा और संसाधन, भण्डारण तथा निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) में ठोस। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु एसपीसीबी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

हमने पाया कि 189 मामलों जहाँ ऐसी शर्त थी, उनमें से 106 परियोजनाओं में शर्त की अनुपालना देखी गई। छः परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे और 38 परियोजनाओं में शर्त लागू नहीं थी क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं हुए थे।

हमने आगे देखा कि 39 परियोजनाओं के मामलों में खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन देखा गया जो पानी के पाठ्यक्रम और डंप साईटों के प्रदूषण को जन्म दे सकता है।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

गुजरात में मै. जिदल साँ लिमिटेड द्वारा 'इस्पात संयंत्र का विस्तार' नामक परियोजना की ईसी में शर्त लगाई थी कि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार मुक्त शेष/ प्रयुक्त तेल तथा स्नेहक पंजीकृत पुनःचक्रण कर्ताओं को बेचा जाएगा। तथापि हमने देखा कि अपशिष्ट/संदूषित तेल तथा स्नेहकों से पुराने बैरल भरकर स्टॉक किए गए थे और ऐसे अपशिष्ट तेल का खुले मैदान में रिसाव देखा गया था। ऐसा ही एक नमूना जीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया और उनकी प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण किया गया। परीक्षण रिपोर्ट पाजीटिव पाया गया था।

पश्चिम बंगाल में मै. कास्मिक फेरो अलॉय लिमिटेड द्वारा ' बनकुरा में फेरो अलॉय संयंत्र का विस्तार नामक परियोजना के ईसी में शर्त थी कि भट्टी से उत्पन्न खतरनाक धातुमल खतरनाक अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 2003 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धातुमल की प्रकृति अभिनिश्चित करने के लिए धातुमल का परीक्षण नहीं किया गया था। डब्ल्यूबीपीसीबी से खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया था कि सुरक्षित निपटान हेतु किसी योजना बिना धातुमल की विशाल मात्राएं परिसरों के चारों ओर लापरवाह रीति से फेंकी गई थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त न करना गम्भीर उल्लंघन था जिसकी सम्बन्धित एसपीसीबी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसे ऐसा प्राधिकरण जारी करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। पीसीबीज को परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण जारी करने में विलम्ब न करने के निर्देश दिए जाएंगे।

#### 4.12 विस्फोटक सामग्री के संचालन हेतु मंजूरी प्राप्त न करना

ईसी की शर्तों के अनुसार विस्फोटक सामग्री के संचालन को सम्बन्धित अधिकारियों की सहमति से व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रीति में किए जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित, 352 नमूना परियोजनाओं में से 85 निर्माण/अवसंरचना परियोजनाओं में ईसी पत्र में ऐसी शर्त लगाई गई थी। हमने 12 परियोजनाओं (14 प्रतिशत) में ईसी शर्तों के पालन में उल्लंघन पाया।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैं:

मै. प्राइड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र द्वारा 'प्राइड साफ्ट सिटी प्रोजेक्ट' परियोजना में ईसी में शर्त लगाई गई थी कि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से डीज़ल के भण्डारण हेतु अनुमोदनों जैसे अन्य सभी कानूनी मंजूरियां ली जानी चाहिए। तथापि पीपी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से प्राप्त मंजूरी नहीं प्रस्तुत कर सका।

मै. लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उत्तराखंड द्वारा 'शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल', हरिद्वार परियोजना में ईसी में शर्त लगाई गई थी कि डीजी सेट के संचालन के लिए आवश्यक डीज़ल भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया जाना चाहिए और यदि जरूरी हुआ तो मंजूरी प्रमुख विस्फोटक नियंत्रक से लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस शर्त का पीपी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि शर्त अधिकांशतः निर्माण परियोजनाओं से सम्बन्धित है। यदि विस्फोटक सामग्री का भण्डारण भूमिगत नहीं था और डीज़ल खुले बाजार से खरीदा गया था तो अनुमति अपेक्षित नहीं है। तथापि ऐसी परियोजनाओं को शर्तों के परिवर्तन के लिए आवेदन करना चाहिए था।

#### 4.13 ताप विद्युत परियोजनाओं में फ्लाइ एश का अनुचित भण्डारण

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्धताओं और ईसी में लगाई गई शर्तों के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को खत्रियों में शुष्क रूप में और विशेष रूप से निर्मित राख कुण्डों में घोल रूप में फ्लाइ एश भण्डार करने की आवश्यकता है। राख कुण्ड की तली में भारी धातुओं की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जानी थी।

कोयला आघारित संयंत्र से उत्पादित राख का निपटान पर्यावरण को गम्भीर संकट में डालता है इसलिए राख के उचित उपयोग के लिए सुरक्षित प्रथाएं लागू की जानी आवश्यक हैं। पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रथाएं परन्तु शुष्क रूप में राख के संग्रहण और खत्तों में भण्डारण तक सिमित नहीं है। घोल के रूप में राख कुण्डों में शेष राख का

निपटान और मैदान में भारी धातुओं के रिसाव को रोकने के लिए राख कुण्डों की लगातार निगरानी शामिल करती हैं।

हमने 43 परीक्षित टीपीपी में से 24 में फ्लाइ एश के भण्डारण का सत्यापन किया। शेष 19 परियोजनाओं के संयंभ अभी परिचालन किए जाने थे अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

इन 24 परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती पाई गई थीं। शेष 8 परियोजनाओं में से हमने पाया कि सात परियोजनाओं में अधिदेशित शर्तों का आंशिक अनुपालन था एवं पंजाब में एक<sup>22</sup> परियोजना में किसी भी इसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 4.2 में वर्णित है।

#### तालिका 4.2 उडन राख के भंडारण से सम्बन्धित अनुपालन का विवरण

क्रम सं.	राज्य	परियोजना प्रस्तावक	इसी शर्त	हमारी आपत्तियां
1	छत्तीसगढ़	मै. जिन्दल पावर लिमिटेड	फ्लाइ एश को खत्रियों में शुष्क रूप में और विशेष रूप से निर्मित	राखकुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई।
2	राजस्थान	मै. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड	राख कुण्डों में घोल रूप में भंडार करने की आवश्यकता है। पारा एवं अन्य भारी धातुओं (आर्सेनिक, लीड, क्रोमियम) की	2014-15 के दौरान 14, 420 टन उडन राख का निचले इलाकों में निपटान किया गया।
3.	उत्तरप्रदेश	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	राख कुंड की तली पर जाँच की जाएगी। राख का निपटान निचले इलाकों में नहीं किया जाएगा।	राख कुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई। निचले इलाकों में निपटान किया गया।
4	पश्चिम बंगाल	मै. वैस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्प लिमिटेड		राखकुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई
5	मध्यप्रदेश	मै. ससान पावर लिमिटेड सिंगरौली, म.प्र.		उडन राख का निपटान निचले इलाकों में किया गया।
6	बिहार	मै. कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड		20 प्रतिशत उडन राख शुष्क रूप में एकत्रित की गई एवं एजेंसी की वितरित की गई। 80

<sup>22</sup> मै. नैक्टर लाइफ साइन्स लिमिटेड का 6 मेगावाट कोजन पावर प्रोजेक्ट।

			प्रतिशत उडन राख (स्टोज-1) का निचले इलाको में लैगून में निपटान किया गया। राखकुंड का निर्माण भी नहीं किया गया।
7	गुजरात	में. एन आर अगरवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई

अननुपालन में, तली में भारी धातुओं की निगरानी न करना, फ्लाई एश का निचले इलाकों में निपटान एवं घोल रूप में फ्लाई एश के निपटान हेतु राख कुंडों का निर्माण न किया जाना था जिससे पर्यावरण को गंभीर जोखिम था।

यह दर्शाता है कि नमूना अंचित 42 प्रतिशत परियोजनाओं में पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रथाएं अपनाई नहीं जा रही थीं जिससे कि पर्यावरण को गम्भीर जोखिम था।

#### 4.14 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में अनुमत राख मात्रा की अपेक्षा अधिक के कोयला का उपयोग

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचन बद्धताओं और इसी में लगाई शर्तों क अनुसार पीपीज को नामुत खानों से कोयला प्राप्त और उपयोग करना था। इसीज में खरीदे जाने वाले कोयला में अधिकतम स्वीकार्य राख मात्रा से सम्बन्धित शर्तें भी शामिल की जाती हैं।

कोयला में उच्च राख मात्रा निम्न कैलोरिफिक मात्रा अर्थात ईंधन की खराब गुणवत्ता दर्शाती है। आगे यह प्रयावरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है क्योंकि सापेक्ष रूप से ईंधन की उच्च मात्रा ईंधन की निम्न दसता के कारण उसी उत्पादन के लिए अपेक्षित होती है।

हमने देखा कि चार परियोजनाओं में स्वीकार्य राख मात्रा के संबंध में कोई विशेष इसी शर्त नहीं थी। उसके अलावा अन्य चार परियोजनाओं में इसी शर्त के माध्यम से स्वीकृत स्तरों के प्रति कोयला में राख मात्रा की उच्च प्रतिशतता देखी गई थी।

हमने प्रयोग किए जा रहे कोयला में राख मात्रा के विषय की संवीक्षा की और पाया कि 43 प्रतिशत टीपीपी में से 4 (9 प्रतिशत) में स्वीकार्य स्तर की अपेक्षा राख मात्रा ज्यादा थी। इसलिए इसीज द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का मूल उद्देश्य विफल हो रहा था।

शेष 35 परियोजनाओं के मामले में हमने पाया कि या तो वे लगाई गई शर्तों का पालन कर रहे थे अथवा संयंत्रों का अभी परिचालन किया जाना बाकी था।

उदाहरण के लिए कुछ मामले निम्नलिखित हैं:-

पंजाब में मैं. तलवंडी साबो पावर लिमिटेड द्वारा एक विद्युत परियोजना में उपयोग किए जा रहे, कोयला में राख मात्रा की प्रतिशतता इसी में अधिदेशित 34 प्रतिशत के प्रति 39.63 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मैं जिन्दल पावर लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में एक परियोजना में यह देखा गया था कि प्रयुक्त कोयला में राख मात्रा इसी में अधिदेशित 34 प्रतिशत के प्रति 44.4 से 49 प्रतिशत थी।

#### 4.15 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में फ्लाइंग एश के पलायन उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण

पलायन उत्सर्जन<sup>23</sup> आम स्वास्थ्य पर विनिकृत पदार्थों (पीएम) के प्रतिकूल प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संकट में डालता है इसलिए पलायन उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए नियत उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

ईआईए रिपोर्ट तथा इसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार इसी को टीपीपी के मामले में उडन राख के पलायन उत्सर्जन के उचित नियंत्रण की व्यवस्था करनी थी। हमने 43 चयनित टीपीपी में उडन राख के पलायन उत्सर्जन के मामले की समीक्षा की एवं 13 परियोजनाओं के मामले में हमने अनुपालन पाया। 20 परियोजनाओं में हमने पाया कि या तो संयंत्र अभी परिचालित नहीं हुए थे या कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

शेष 10 परियोजनाओं में हमने देखा कि आठ परियोजनाओं में इसी में पीपीज द्वारा पलायक उत्सर्जनों के उचित नियंत्रण कि कोई विशेष शर्त शामिल नहीं की। दो परियोजनाओं, बिहार तथा महाराष्ट्र प्रत्येक में एक, में यद्यपि इसी में सुसंगत शर्त अधिदेशित की गई परन्तु अनुपालन शून्य था। महाराष्ट्र के मामले में मैं अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में एक किसान से औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई थी जो परिसर के बाहर भूमि के निपटान से संबंधित थी।

#### 4.16 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में उत्पन्न उडन राख का उपयोग न करना

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्धताओं और इसी द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार पीपी को प्रचालन के चौथे वर्ष से 100 प्रतिशत उडन राख का उपयोग करना था।

हमने 43 परिक्षित टीपीपी में फ्लाइंग एश के उपयोग की संवीक्षा की। 23 परियोजनाएं ऐसी थी जिन्हें आरम्भ के बाद चौथे वर्ष में अभी प्रवेश करना था अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई।

<sup>23</sup> पलायन उत्सर्जन, दबाव उपकरणों से गैसों या वाष्प के रिसाव, एवं औद्योगिक गतिविधियों की वजह से अनपेक्षित या अनियमित गैसों के रिसाव की वजह से उत्सर्जन है।

शेष 20 परियोजनाओं में हमने पाया कि 11 परियोजनाओं (55 प्रतिशत) में कथित शर्तों का अनुपालन किया गया था। नौ परियोजनाओं में इसी में वचनबद्ध मात्रा तक उडन राख का अनुपयोग होना देखा गया था जैसा तालिका 4.3 में विस्तृत है। यद्यपि दो मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे परन्तु इन मामलों में कोई शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी। हरियाणा में एक मामले में इसी शर्तों में अन्तर देखा गया था, बदस्तूर रूप से इसी प्रचालन के चौथे वर्ष से उडन राख के 100 प्रतिशत उपयोग का अधिदेश करता है तथापि इस परियोजना में इसी में प्रचालन के नौवें वर्ष तक अनुपालन अधिदेशित किया गया। इससे यह पता लगा कि देखी गई परियोजनाओं में से 45 प्रतिशत में उडन राख का ईट बनाने में उपयोग असंतोषजनक था एवं ऐसे मामलों में कोई शास्तिक कार्यवाही भी नहीं की गई।

**तालिका 4.3 ताप बिधुत परियोजनाओं में उडन राख का उपयोग न करना**

राज्य	परियोजना प्रस्तावक	हमारी आपत्तियां
1. बिहार	कान्ती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	चरण-1 में उत्पादित उडन राख का 80 प्रतिशत बूढी गण्डक नदी के लैगून में डाली गई थी। बिहार (एसपीसीबी) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
2. हरियाणा	हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	इस मामले में इसी ने उडन राख के उपोग को प्रचालन के नौवें वर्ष तक अनुमत किया जो सभी अन्य मामलों में दिए इसी अलग था।
3. झारखण्ड	ऊषा मार्टिन रांची	प्रचालन के चौथे वर्ष में केवल 81 प्रतिशत निपटान हुआ।
4. पंजाब	नैक्टर लाइफ साइंस, सैदपुरा	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
5. पंजाब	तलवंडी सावो पावर लिमिटेड बनावला	294808.32 एम टी (2014-15) और 817755.25 एम टी (2015-16) उडन राख उत्पन्न हुई थी जिसमें से 15457.88 एमटी तथा 208160.49 एमटी क्रमशः 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान उपयोग की गई थी। उपयोग ना करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
6. पंजाब	बीसीएल इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भटिंडा	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग ना करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
7. उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी रिहंद सुपर टीपीपी स्टेज III	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्तिक कार्यवाही नहीं की गई थी।
8. उत्तर प्रदेश	रोसा पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड शाहजहाँपुर	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्तिक कार्यवाही नहीं की गई थी।



राज्य	परियोजना प्रस्तावक	हमारी आपत्तियां
9. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्प लिमिटेड, बकरेश्वर	निकटवर्ती नदी चन्द्रभागा को प्रदूषित करने के लिए एनजीटी द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रतिक्रिया में ताप विद्युत स्टेशन ने नदी की सफाई के लिए ₹ 4.64 करोड़ खर्च किया।

एमओईएफएण्डसीसी ने राख के प्रबंधन के सम्बंध में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र द्वारा असंतोषजनक अनुपालन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और जनवरी 2016 की उनकी हाल की अधिसूचना, जिसमें अधिदेशित किया गया कि सभी निर्माण तथा खनन कार्यकलापो को टीपीपी से 300 कि.मी. की परिधि में उडन राख का प्रयोग करना है, के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2017 के अंत तक बेहतर अनुपालन का आश्वासन दिया।

#### 4.17 नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन तथा संकलन न करना

नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में विभिन्न स्थलों पर पत्थरों/कूड़ा करकट की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है जिसे यदि उचित प्रकार से निपटाया न जाए तो निरपवाद रूप से नदी में खिसक जाएगी और परियोजना के निष्पादन और वर्तमान जलीय जीवन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनेगा। इस प्रकार नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में कूड़ा करकट निपटान योजना की आवश्यकता थी। इस योजना में बाँध निर्माण तथा अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के दौरान उत्पादित कूड़ा करकट की मात्रा अनुमानित की जाती है और कुछ पहचाने गए क्षेत्रों में इसके उचित निपटान हेतु उपाय सुझाए जाते हैं। खोदी गई सामग्री की कूड़ा करकट निपटान योजना के अनुसार पुनः स्थापित और ढेर करने की आवश्यकता है ताकि यह पार्थिक तथा जलीय पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाल सके।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से तीन (33 प्रतिशत) परियोजनाओं में नामित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट के समेकन तथा संकलन की कोई शर्त नहीं थी। दो परियोजनाओं में शर्त का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। **कर्नाटक नीरावारी निगम लिमिटेड की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम** की एक परियोजना में शर्त का पालन किया गया था चूंकि सम्पूर्ण कूड़ा करकट परियोजना में ही उपयोग किया गया था इसलिए कूड़ा करकट का डम्पिंग अपेक्षित नहीं था।

तीन परियोजनाओं में शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था और उसे एमओईएफएण्डसीसी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सैन्ज एचईपी परियोजना में भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि सात कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में से पाँच डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट डाला गया था। डम्पिंग स्थान संख्या 2 और 7 की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त पाई गई थीं और कूड़ा करकट सीधे नदी में बह रहा था। परिणामस्वरूप एसपीसीबी ने परियोजना के सीटीई का नवीरकण नहीं किया था।



कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की सैन्ज जल विद्युत शिक्त परियोजना में क्षतिग्रस्त कूड़ा करकट स्थान के कारण नदी में ऊपर बहता कूड़ा करकट

इसी प्रकार सिक्किम में मै. स्नेह काइनेटिक पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड की दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट) परियोजना में हमने देखा कि ईसी में गलत कहा गया था कि कूड़ा करकट को उत्तर तथा दक्षिण जिलों में छः डम्पिंग स्थानों पर डाला जाना था परन्तु ईएमपी के अनुसार कूड़ा करकट उत्तर तथा पूर्व जिलों में चार स्थानों पर डाला जाना था। कूड़ा करकट विद्युत गृह, सर्ज शाफ्ट और बाँध स्थान के पास में तीन स्थानों पर डाला गया था। विद्युत गृह (पूर्वी जिला) के निकट वाले कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में अभी भूदृश्य निर्माण/सुरक्षा की जानी थी। सर्ज शाफ्ट के निकट वाले डम्पिंग स्थान का भूदृश्य निर्माण कर दिया गया बताया गया था और रोपण किया जा रहा था।



लिंगडाक में डम्पिंग स्थान



दिक्चू में डम्पिंग स्थान

इस प्रकार नामित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट के समेकन तथा संकलन के बारे में ईसी में शर्त शामिल न करने और कूड़ा करकट के अनुचित निपटान के कारण परियोजना क्षेत्र के चारों ओर पार्थिव तथा जलीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कूड़ा करकट के स्थिरीकरण और सुधार में विलम्ब एक चिन्ता का विषय है जैसा मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से देखा गया।

#### 4.18 विसर्जन का निम्नतम पर्यावरणीय बहाव न बनाए रखना

पर्यावरणीय बहाव (ईएफ) नदियों में जल के वह बहाव हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तन्त्र को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में जलीय आवासों तथा पारिस्थितिकी तन्त्र के जटिल सेट को कायम रखने में सक्षम नदी में बहाव व्यवस्था ईएफ के रूप में जानी जाती हैं। ईएफ वांछित, सहमत अथवा पूर्व निर्धारित स्थितियों में बनाए रखने अथवा उन्नत करने के लिए बनाया जाता है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से छः (67 प्रतिशत) परियोजनाओं में निम्नतम ईएफ के बारे में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। दो परियोजनाओं में शर्त का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजनाएं अभी परिचालित की जानी थीं। केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ के मामले में अनुपालन देखा गया था।

छः परियोजनाओं में कायम रखे जाने वाले निम्नतम पर्यावरणीय बहाव के बारे में शर्त शामिल न करने के कारण उन क्षेत्रों के चारों ओर, जहाँ ये परियोजनाएं स्थित हैं, जलीय पारिस्थितिकी तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि वे अतिरिक्त शर्त, यदि आवश्यक हो, लगाने के लिए प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा करेंगे।

#### 4.19 मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू न करना

एक जल संसाधन परियोजना विशेष स्थिति और सम्बन्धित नदी में वास करने वाले मछली जाति के आधार पर, जलीय जन्तुओं पर प्रतिकूल अथवा लाभकारी प्रभाव डाल सकती है। इसी प्रकार यह उन लोगों पर अनेक प्रभाव डालती है, जिनकी जीविका मछली पर निर्भर है। बाँध का निर्माण आवास के विखण्डन, जलीय व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है और घरेलू तथा प्रवासी मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना (एफसीएमपी) आवश्यक है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से पाँच (56 प्रतिशत) परियोजना में एफसीएमपी के कार्यान्वयन की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।

शेष चार परियोजनाओं, जहाँ इसी में ऐसी शर्त का उल्लेख किया गया था, में से एक परियोजना केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ में शर्त का पालन किया जा रहा था। कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना, आंध्रप्रदेश, सैन्ज एचईपी परियोजना (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश और दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट), सिक्किम में एफसीएमपी लागू नहीं पाया गया था।

पाँच परियोजनाओं में एफसीएमपी लागू करने के बारे में शर्त शामिल न करना और तीन परियोजनाओं में योजना लागू न करना मछलीय जन्तुओं और उन पर निर्भर मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ज्यादातर मामलों में परियोजनाओं ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग में पैसा जमा करा दिया था किंतु कार्यान्वयन में देरी हो गई। संतोषजनक अनुपालन प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 4.20 जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाएं लागू न करना

जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव और जल निकासी नेटवर्क के माध्यम से अलग हुई सामग्री का परिवहन कई समस्याओं को बढ़ावा देता है जैसे गाद, बहाव क्षमता की क्षीणता, भण्डारण क्षमता की नियमित हानि, जल विद्युत शक्ति उत्पादन में लगातार गिरावट और बारम्बार बाढ़। एक सुअभिकल्पित जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना (सीएटी) जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी क्षरण की प्रतिकूल प्रक्रिया को सुधारने के लिए अनिवार्य है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से चार (44 प्रतिशत) परियोजनाओं में सीएटी योजना से सम्बन्धित शर्त नहीं लगाई गई थी। अन्य पांच परियोजनाओं (केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़, सैन्ज एचईपी परियोजना (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश, श्री रामेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना, बेलगाँव, कर्नाटक, लोअर गोई सिंचाई परियोजना, बरवानी, मध्यप्रदेश और दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट), सिक्किम) में सीएटी योजना पीपी द्वारा कार्यान्वित नहीं पाई गई थीं।



जलग्रहण क्षेत्र का संसाधन न करने के कारण सैन्ज जल विद्युत परियोजना क्षेत्र कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकीय क्षति

चार परियोजनाओं में सीएटी योजना को लागू करने से सम्बन्धित किसी शर्त के न होने और पाँच परियोजनाओं में ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के अनुसार सीएटी योजना लागू न करने के अभाव में इन परियोजनाओं के चारों ओर जलग्रहण क्षेत्र में क्षरण का प्रभावी नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। क्षरण के कारण उपरी मिट्टी हट सकती है जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जलाशय की जीवन अवधि पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जलाशय का जीवन काल जल ग्रहण की प्रकृति, नीचे पडी चट्टान/मिट्टी प्रकार, वनस्पति प्रकार, जल निकास ढाँचे आदि पर निर्भर करता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अधिकांश मामलों में परियोजनाओं ने राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को धन जमा कर दिया था परन्तु कार्यान्वयन में विलम्ब हो गया। सन्तोषजनक अनुपालन प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 4.21 उपसंहार

एमओईएफएण्डसीसी ने संबन्धित क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं के संबंध में कुछ विशिष्ट शर्तें लगाई थीं जिनका पीपी द्वारा अनुपालन किया जाना था। परन्तु यह देखा गया था कि निगरानी एजेंसियां इसी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थीं। अनेक मामलों में पीपी ने परियोजना स्थानों पर जोखिमों का आंकलन करने आपातकालीन तैयारी के योजना नहीं बनाई।

निर्माण कार्यकलापों के दौरान खोदी गई ऊपरी मिट्टी इसी की अवथाओं के अनुसार परियोजना स्थानों के अन्दर बागवानी/ दृश्य भूमि में उपयोग हेतु इकट्ठी नहीं हुई थी। कोयला/गैर कोयला खनन क्षेत्र के मामले में ऐसी खनन प्रचालनों के दौरान सृजित अतिभारित उम्प क्षरण और सतह बहना रोकने के लिए उचित स्वाभाविक प्रजातियों से वैज्ञानिक रूप से वनस्पति से आवृत्र नहीं किए गए थे और नाजुक क्षेत्रों में डम्प स्थित करने के लिए जिओ रेक्टाइल उपयोग नहीं किए गए थे।

अनेक मामलों में पीपी ने वनस्पति तथा जन्तुओं में संरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार नहीं की थी और निधियों का आवंटन नहीं किया था तथा राज्य वन एवं वन्यजीव विभाग के परामर्श से लागू नहीं की गई थी। परियोजना परिसरों में ईटीपी तथा एसटीपी का संस्थापन न करने के कारण असंसाधित अपशिष्ट जल नालियाँ के माध्यम से विसर्जित किया जा रहा था जिससे सतही/ भूजल संदूषित हो रहा था। वयावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करने और सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग न करने के कारण परियोजना स्थान में और आस पास कार्यरत कार्मिकों के बीच श्वसन समस्याएं/श्वास बीमारियां हो रही थीं।

हमने देखा कि अनेक मामलों में वर्षा जल संचयन नहीं किया गया था। आवासीय सुविधाएं निर्माण चरण के दौरान श्रमिकों को मुहैया नहीं की गई थीं। पीपी द्वारा खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन के मामले हुए थे जिस के कारण जलाशयों तथा डम्प स्थानों पर संदूषण हुआ था और अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री के प्रहस्तन के लिए सम्बन्धित प्रधिकरण से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। हमने देखा कि राहत तथा पुनर्वास योजना या तो लागू की गई थी अथवा आंशिक रूप से लागू की गई थी।

ताप विद्युत संयंत्रों के कुछ मामलों में यह देखा गया था कि फ्लाई ऐश के भण्डारण की पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रभाओं का पालन नहीं किया जा रहा था, स्वीकृत राख मात्रा से अधिक के कोयले का उपयोग किया जा रहा था, फ्लाई ऐश के पलायक उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण हुआ था और उत्पादित उडन राख का ईसी शर्तों के अनुसार पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा था।

नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कुछ मामलों में यह देखा गया था कि नाभित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट का समेकन तथा संकलन और कूड़ा करकट का उचित निपटान नहीं किया जा रहा था, विसर्जन का निम्नतम पर्यावरणीय बहाव कायम नहीं रखा जा रहा था, मछली पालन संरक्षण तथा प्रबन्धन योजना और जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू नहीं की जा रही थीं।

#### 4.22 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.20)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.20)